

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 'जेडए' और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन.

मैं/हम (नाम और पता)

निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, फेडरल बैंक लिमिटेड की शाखा द्वारा वापस लौटाई जा सकती है.

जमा			नामांकित व्यक्ति				
जमा की प्रकृति	विशिष्टता सूचक सं.	अतिरिक्त विवरण, अगर कोई है	नाम	पता	जमाकर्ता के साथ संबंध, अगर कोई है	आयु	अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो जन्म तिथि

2. चूंकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है. मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पता और आयु) को नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

स्थान: दिनांक:	*जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान	
गवाह (गवाहों) का/के नाम, हस्ताक्षर और पता(पते)		
ध्यान रखें:	*जहाँ किसी अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन पर अवयस्क की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के अधिकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.	और अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो इसे काट दिया जाना चाहिए. अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

फेडरल बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : अलवे, केरल	C. 715 पावती	शाखा दिनांक
---	-----------------	----------------------------

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री

प्रिय महोदय/महोदया,

संद: हमारे पास आपकी जमा सं. के संबंध में नामांकन.

संद: (सी.700) डीए1./पत्र सं. में आपका आवेदन पत्र दिनांकित

हम हमारे पास खाता सं. में रखी गई उपर्युक्त जमा राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती

..... को प्राधिकृत करने वाले आपके नामांकन पत्र दिनांकित की प्राप्ति स्वीकार करते हैं.

भवदीय

प्रबंधक.